

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/62339/GZB/GHAZIABAD/4040/CFO

दिनांक: 06-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि गैसर्स DELHI VOCATIONAL SCHOOL SOCIETY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता NYAY KHAND-1 INDIRAPURAM, INDIRAPURAM, GHAZIABAD तहसील - GHAZIABAD, प्लॉट एरिया 7363.94 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 15631.97 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिरामें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	सेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
K R MANGALAM SCHOOL	5	1	18.50 mt.

है। भवन का अधिभोग गैसर्स DELHI VOCATIONAL SCHOOL SOCIETY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 11-02-2026 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री INDER DEV GUPTA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 12-02-2026 से 11-02-2031 तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशामन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशामन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए गैसर्स DELHI VOCATIONAL SCHOOL SOCIETY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए गैसर्स DELHI VOCATIONAL SCHOOL SOCIETY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशामन द्वितीय अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या के आधार पर NBC-2016 उ0प्र0 अग्निशामन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 नियमावली-2024 अनुसार निम्न उपबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, 1-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। 2-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा। यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशामन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Rahul Pal)

[AC551D1C1977602518FD17F7DCFB9B10AD96EDA]

12-02-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-02-2026

स्थान : GHAZIABAD

